[ 2022 ] 2 एस. सी. आर 1164

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.

भीम ने लक्ष्य और हमारा ध्यान रखा।

( 2022 की सिविल अपील संख्या 3151)

25 अप्रैल, 2022

[ के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894: एसएस। 4 , 6 , 16 और 18-भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013। 24 ( 2 ) - प्रत्यर्थी की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए धारा 4 के तहत अधिसूचना, जिसके बाद यू /

एस. 6 – एक रिट याचिका में प्रतिवादी द्वारा चुनौती-उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी और पक्षों को भूमि की प्रकृति, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और

लिखित याचिका को खारिज कर दिया-अपील में, इस न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी-इस बीच, 2013 का अधिनियम पारित किया-प्रत्यर्थी द्वारा लिखित याचिका जिसमें दावा किया गया कि 1894 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही एस के अनुसार समाप्त हो गई थी। 24 ( 2 ) 2013 के अधिनियम का-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई क्योंकि मामले में निर्णय 5 साल पहले दिया गया था

2013 के अधिनियम के प्रारंभ और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था-इस न्यायालय के समक्ष अपील-इसके लंबित रहने के दौरान, 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक थी-आयोजित की गईः उत्तरदाता यू/एस आश्रय नहीं ले सकते हैं। 24 ( 2 ) 2013 के अधिनियम के अनुसार-81 दिनों को छोड़कर, प्रत्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंतरिम रोक के कारण भूमि पर कब्जा करने के लिए अपीलकर्ता अधिग्रहण प्राधिकरण को रोक दिया गया था-यदि ठहराव के लिए नहीं होता, तो भूमि ले ली जाती और भूमि ले ली जाती।

यह 1894 के अधिनियम के तहत सरकार के पास निहित था-इसके अलावा, सरकार पहले से निहित भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती है और सरकार को इसके लिए सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भूमि का अधिग्रहण जो पहले से ही इसकी है-यह तथ्य कि 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही घोषणा के चरण में पहुंच गई है, यह नहीं बता सकता है

प्रत्यर्थियों को उक्त कार्यवाहियों के फल का दावा करने का अधिकार है, जब भूमि पहले से ही 1894 के अधिनियम के तहत निहित होगी और दो बार निहित नहीं की जा सकती है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को अलग कर दिया गया और भूमि सरकार को निहित कर दी गई। हालांकि, उत्तरदाताओं ने एक दायर करने का अवसर दिया

1164 दिल्ली विकास प्राधिकरण v. भीम सैन गोएलैंड ऑर्स।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के संदर्भ और बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के लिए 1894 अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन - बाद की घटनाएँ।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत 21.03.2003 पर अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद 18.03.2004 पर धारा 6 के तहत घोषणा की गई जो थी

इसके बाद पुरस्कार 22.08.2005 पर पारित किया गया। निस्संदेह एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जो प्रभावी रूप से अपीलार्थी को विचाराधीन भूमि पर कब्जा करने से रोकता था। हालाँकि रिट याचिका को 20.08.2007 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय में याचिका को ले जाया और यह फिर से विवाद में नहीं है कि अंतरिम आदेश अपीलार्थियों को परेशान करता रहा क्योंकि यह अपीलार्थियों को उन भूमि पर कब्जा करने से रोकता था जिन्हें वह अन्यथा ले सकता था। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार को लागू करने के साथ,

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 01.01.2014 से प्रभावी, तब भी जब दीवानी अपील लंबित थी,

प्रत्यर्थियों ने एक रिट याचिका के रूप में मुकदमे का एक नया दौर दायर किया। इसमें दावा किया गया था कि पहले का पुरस्कार 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के आधार पर समाप्त हो गया है। इस तर्क को विवादित फैसले में उच्च न्यायालय का समर्थन मिला है। यह अपीलार्थी का मामला है कि 81 दिनों को छोड़कर, एक अंतरिम आदेश प्रचलित था, जिसने प्रभावी रूप से अपीलार्थी को भूमि का कब्जा लेने से रोक दिया।

उत्तरदाताओं। [ पैरा 10] [1173-सी-एफ]

1.2 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत शरण नहीं ले सकते हैं। यह सरल कारण है कि न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने और अंतरिम आदेश प्राप्त करने में उनके आचरण से अपीलार्थी को भूमि पर कब्जा करने से रोका गया था। यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जिसमें प्रत्यर्थियों ने मुकदमा शुरू किया है, आदेश प्राप्त किए हैं और इसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को कब्जा करने से रोक दिया है और इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करना होगा। [ पैरा 12] [1176-ए-सी] [2022] 2 एस. सी. आर.

1.3 यह सच है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 ए के तहत भी एक अधिसूचना जारी की गई है। यह समान रूप से सच है कि उस पर कार्य करना

आपत्तियों को बुलाने के बाद 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत घोषणा की गई है। 1956 के अधिनियम की योजना में अनिवार्य रूप से 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप धारा 3 ए के तहत अधिसूचना जारी करना शामिल है, जिसके बाद सामान्य रूप से जांच की जाती है और धारा के तहत घोषणा की जाती है।

3 डी. यह निस्संदेह सच है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत घोषणा का कानूनी प्रभाव यह है कि संपत्ति निहित होगी।

इसके बाद। [ पैरा 13] [1176-डी-एफ] 1.4 इस न्यायालय को ऐसी स्थिति के साथ प्रस्तुत किया गया है जहां एक ओर, धारा 16 के तहत निहित होना पहले ही हो चुका है।

1894 के अधिनियम का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 16 के तहत, पुरस्कार पारित होने पर कब्जा लिया जाना है। लेकिन यहाँ, यह केवल एक रिट याचिका दायर करने में उत्तरदाताओं के आचरण के कारण है और अदालतों द्वारा आदेश पारित किए जा रहे हैं कि कब्जा नहीं लिया जा सकता है। दूसरी ओर, विवादित फैसले के खिलाफ चुनौती के लंबित रहने के दौरान, निस्संदेह, 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। यहाँ, विचाराधीन भूमि थी

एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक-सड़क का निर्माण। जाहिरा तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान धारा 3 ए के तहत कार्यवाही की गई है, जिसके बाद धारा 3 डी के तहत घोषणा की गई है। [ पैरा 14] [1176-एफ-एच]

1.5 एक ओर, यह एक ऐसा मामला है जहां तथाकथित बाद के घटनाक्रम विचाराधीनता के दौरान हुए थे

इस न्यायालय के समक्ष अपील की। दूसरी ओर, प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1956 के अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया। इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सरकार उस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती जो पहले से ही उसमें निहित है। दूसरा पहलू इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि विचाराधीन भूमि अपील का विषय है और इसके अलावा, वे इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में निहित होंगे जब 1956 के अधिनियम के तहत अंतिम निर्णय पारित किया गया था।

उत्तरदाता दिल्ली विकास प्राधिकरण v करते हैं। भीम सैन गोएलैंड ऑर्स।

ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्होंने अंतिम निर्णय में अपनी भूमि के अपवर्जन को कोई चुनौती दी है। जो कुछ भी हो, तथ्य यह है कि ये सभी विकास इस दौरान हुए थे

अपील की विचाराधीनता। [ पैरा 16] [1178-जी-एच; 1179-ए-बी]

1.6 जब न्यायालय अंततः आई. एस. का निर्णय करता है, तो यह निस्संदेह, खुला है, विशेष रूप से इस न्यायालय के पास अनुच्छेद के तहत शक्तियां हैं।

142 , पक्षकारों और प्रत्यर्थियों के वकील के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उक्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। [ पैरा 17] [1179-बी-सी]

1.7 यदि यह बहिष्कार का सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है क्योंकि यह वकील द्वारा लिए गए तर्क की रेखा से दिखाई देगा। उत्तरदाताओं के लिए, यह मान्य नहीं है। एस्टोपेल इक्विटी से प्रवाहित होता है। [ पैरा 18] [1179-सी-डी]

1.8 यह तर्क दिया जा सकता है कि अपीलार्थी को 1956 के अधिनियम के तहत और कार्यवाही के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देना उचित नहीं हो सकता है

1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत संपत्ति को निहित करने के लिए और 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्वाचित होने के बाद, जाहिरा तौर पर विवादित निर्णय के आधार पर कि 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई थी, अधिकारियों को अपनी कार्रवाई से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी को इससे वंचित करना तथ्यों के मामले में पूरी तरह से असमान होगा। अधिकार जब इस मामले के तथ्यों में अंततः इसके पक्ष में निर्णय लिया जाता है। यह एक ऐसा मामला भी है जिसमें अपीलार्थी ने विवादित फैसले के खिलाफ तुरंत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इसके अलावा, तथ्यों में समानता का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल यह तथ्य कि मामला लंबित रहने के दौरान कार्यवाही की गई थी और यह 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत घोषणा के चरण में पहुंच गया था, प्रतिवादियों को उक्त कार्यवाही के फल का दावा करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब अपील के अंतिम निपटारे पर यह पाया गया कि कानून में जैसा कि इस न्यायालय द्वारा संविधान पीठ में घोषित किया गया था, भूमि पहले से ही 1894 के अधिनियम के तहत निहित होगी और जैसा कि पहले ही देखा गया है कि इसे दो बार निहित नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 20] [1180-सी-एफ] [2022] 2 एस. सी. आर.

1.9 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 81 दिनों को छोड़कर प्रतिवादी अंतरिम आदेश के बल पर सफल होते हैं

1.10 जिस लोक प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती शासन के तहत कानून को लागू किया था, उसे तब नुकसान नहीं हो सकता जब दिन के अंत में या गणना के दिन यह पाया जाता है कि उन्हें कानून में सफल होना चाहिए। अपीलार्थी का यह तर्क देना पूरी तरह से उचित है कि लेकिन उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के लिए, कब्जा ले लिया गया होगा, और भूमि कानून के तहत निहित। इस न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि लेकिन पारित अंतरिम आदेशों के लिए जो मामलों के अंतिम निपटारे से बच नहीं सकते हैं, भूमि पूर्ववर्ती शासन के तहत सरकार के पास निहित होती। बाद में निहित

जिसे 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे महत्वहीन होना चाहिए और अपीलार्थी को यह तर्क देने से नहीं रोक सकता है कि कानून के अनुसार भूमि 1894 Act.There के तहत जारी अधिसूचना/पुरस्कार के तहत निहित होगी, प्रत्यर्थियों के लिए अभिवचन करने का कोई अधिकार नहीं है।

उनके लिए समानता ने अपने कार्यों द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को कानून के फल का आनंद लेने से प्रभावी रूप से रोक दिया है, जिसके द्वारा, 1894 के अधिनियम में निहित शक्ति के प्रयोग में, भूमि निहित है

अपीलार्थी, और भूमि वह है जो उस मामले के लिए सड़क के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यक है। यदि सरकार पहले से ही अपने स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 2013 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए मजबूर होती है तो यह सार्वजनिक हित के लिए पूरी तरह से विरोधी होगा। यह न्यायालय उक्त उदात्त सिद्धांत से भी अनजान नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापन सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि भूमि पहले से ही निहित है, भूमि पहले से ही अंतिम के तहत बाहर है

पुरस्कार। अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपीलार्थी को सफल होना चाहिए। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [ पैरा 22-25] [1180-G-H; 1181-A-E]

1.11 हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और न्याय के हित में, यह निर्देश देना उचित है कि यदि उत्तरदाताओं ने कोई याचिका दायर नहीं की है

1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन जिसमें संदर्भ की मांग की गई हो और दिनांक 1 के पुरस्कार के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया गया हो, उत्तरदाताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण v का अवसर दिया जाना चाहिए।

भीम सैन गोएलैंड ऑर्स।

धारा 18 के तहत आवेदन करना और मामले पर पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत निर्णय लेना। विवादित निर्णय कानून के आधार पर पारित किया गया जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि मामले में, उत्तरदाताओं ने पहले से ही धारा 18 के अर्थ के भीतर एक आवेदन दायर नहीं किया है।

उन्हें 1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन दायर करने की अनुमति है। इस तरह के मामले में

आवेदन किया जाता है, इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा जैसा कि यह 1894 के अधिनियम के तहत था। आवेदन को देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। यह आदेश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है और इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि यह न्यायालय इस निर्णय के साथ है कि 1894 के अधिनियम के तहत 22.08.2005 दिनांकित पुरस्कार। [ पैरा 26] [1181

एफ-एच]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। मनोहरलाल और अन्य

( 2020 ) 8 एससीसी 129: [ 2020 ] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम. महेश शर्मा और एक और (2010) 9 एससीसी 782 [2010] 11 एससीआर 1002--

संदर्भित किया गया।

स्पेन्सर बॉवरः विश्वास-आधारित एस्टोपेल

5 संस्करण-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 2020 ] 3 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा

12,16,20,22,24

[ 2010 ] 11 एससीआर 1002

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.3151

2022 .

उच्च न्यायालय के 02.02.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली का डब्ल्यू. पी. (ग) 2015 का No.3209।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., संजय पोद्दार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विष्णु बी।

सहारिया, विरेश बी. सहारिया, मेसर्स सहारिया एंड कंपनी, अक्षय धतवालिया, सुश्री कुमुद निझावन, अश्विनी कुमार, प्रणब कुमार मलिक, सोमा मलिक, विश्वरंजन कुमार, सेबत कुमार देवरिया, सिद्धार्थ सिंगला, प्रवीण स्वरूप, शिवम गोयल, अनिल कुमार गोयल, प्रतिश गोयल, राम्या गोयल, सुश्री पायल स्वरूप, मानवेंद्र सिंह, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, अमन शर्मा, सुश्री प्रियंका दास, अभिषेक सरकार, सुश्री।

22 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नूर रामपाल, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, राहुल पांडे, राजीव रंजन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

( 1 ) देरी को माफ कर दिया गया।

( 2 ) प्रतिस्थापन दाखिल करने में देरी को माफ करने, उपशमन और प्रतिस्थापन को अलग रखने के लिए आवेदनों की अनुमति है।

श्री प्रणब कुमार मलिक, विद्वान वकील, कानूनी पक्ष की ओर से पेश होते हैं।

मृत उत्तरदाताओं के प्रतिनिधि।

( 3 ) छुट्टी दे दी गई।

( 4 ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद '1894 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी।

उत्तरदाताओं की भूमि का अधिग्रहण करना। इसके बाद 1894 के अधिनियम की धारा 6 के तहत 18.03.2004 पर घोषणा की गई। 22.08.2005 पर, इस मामले में एक पुरस्कार पारित किया गया था। धारा 6 के तहत घोषणा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 21639/2005 दायर की गई। जो अधिक प्रासंगिक है वह यह है कि, उच्च अदालत ने 18.11.2005 को निर्देश दिया कि विचाराधीन भूमि की प्रकृति, स्वामित्व और कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। यह अपीलार्थी का मामला है कि प्राधिकरण अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप भूमि का कब्जा नहीं ले सका। रिट याचिका खारिज होने के लिए आई। हालाँकि, उत्तरदाताओं के आवेदन पर, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। प्रत्यर्थियों ने एसएलपी (सी) नं. दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 17504-08 / 2007 . बाद में इसे सिविल अपील सं. 4116-4120/2009 में परिवर्तित कर दिया गया। एक बार फिर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि रोक का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इस बीच, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (इसके बाद)

'2013 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) 01.01.2014 से प्रभावी हुआ। इस बीच, उत्तरदाताओं ने रिट याचिका संख्या 3209/2015 दायर की। यह रिट याचिका 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के आधार पर 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही की समाप्ति पर आधारित थी। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 02.02.2016 पर अनुमति दी गई। इसके बाद,

उत्तरदाताओं ने सिविल अपील सं. 4116-4120/2009 को वापस ले लिया। यह उच्च न्यायालय का दिनांकित 02.02.2016 का निर्णय है जो वर्तमान अपील का विषय है।

विकास प्राधिकरण v. भीम सैन गोएलैंड ऑर्स।

[ के. एम. जोसेफ, जे.]

( 5 ) उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को निम्नलिखित रैफ से प्राप्त किया जा सकता हैः

" 2. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का दावा है कि उक्त भूमि का कब्जा 24.12.2008 पर लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उनका दावा है कि विषय भूमि पर कब्जा करने के तुरंत बाद उसे डीडीए को सौंप दिया गया था। हालांकि, अपनी ओर से दाखिल किया गया हलफनामा

डी. डी. ए. का कहना है कि अधिकार द्वारा नहीं सौंपा गया था

डी. डी. ए. को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील बताते हैं कि प्रतिवादी/एल. ए. सी. विषय भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ एक यथास्थिति आदेश था जिसे एक प्रभाग द्वारा पारित किया गया था

डब्ल्यू. पी. में 18.11.2005 पर इस अदालत की पीठ (c) 21639/2005। उस रिट याचिका को 20.08.2007 पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक विशेष सुप्रीम कोर्ट में एस. एल. पी. होने के नाते अनुमति याचिका दायर की गई थी।

( (ग) नहीं। 17504/2007 ( बाद में विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अब यह सिविल अपील संख्या बन गई है। 4116-4120 2009 का) जिसमें 19.09.2007 पर रोक दी गई थी और यह आज तक जारी है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, उक्त भूमि का कब्जा प्रत्यर्थियों द्वारा नहीं लिया गया है। जहाँ तक मुआवजे के मुद्दे का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं को इसकी पेशकश या भुगतान नहीं किया गया है।

3. भौतिक अधिकार के विवाद में गए बिना,

यह बहुत स्पष्ट है कि यह पुरस्कार 2013 के अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल से अधिक समय पहले दिया गया था और

मुआवजा भी नहीं दिया गया है। 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री

उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में व्याख्या की गई

मामले संतुष्ट हैंः

( 1 ) पुणे नगर निगम और अन्र। वी. हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। : ( 2014 ) 3 एससीसी 183;

( 2 ) भारत संघ और ओआरएस। वी. शिव राज और अन्यः ( 2014 ) 6 एससीसी 564;

( 3 ) श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्यः सिविल अपील सं. 8700/2013 पर निर्णय लिया गया

10.09.2014 ;

( 4 ) सुरेंद्र सिंह बनाम। भारत संघ और अन्यः डब्ल्यूपी (सी) 2294 /

2014 इस न्यायालय द्वारा 12.09.2014 और [2022] 2 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया गया।

( 5 ) गिरीश छाबड़ा बनाम। दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्यः WP (C) 2759/2014 ने इस न्यायालय द्वारा 12.09.2014 पर निर्णय लिया।

( 6 ) हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना है।

( 7 ) अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम में इस न्यायालय के बाद के संविधान पीठ के फैसले के आलोक में विवादित निर्णय इस न्यायालय की जांच में खड़ा नहीं होगा। मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 एस. सी. सी. 129 को इसके बाद संविधान पीठ के निर्णय के रूप में संदर्भित किया गया। यह उनका मामला है कि रिट याचिकाओं को दायर करने में प्रत्यर्थियों का आचरण और विशेष अनुमति याचिका को बाद में दीवानी अपील में परिवर्तित कर दिया गया और जो अधिक महत्वपूर्ण है, अंतरिम आदेश प्राप्त करने से अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से विचाराधीन संपत्ति का कब्जा लेने से रोका गया, जो प्रत्यर्थियों को कथित रूप से समाप्त होने के लाभ का दावा करने से वंचित करता है।

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत कार्यवाही।

यह स्थिति संविधान पीठ के फैसले के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसे हमने स्वीकार किया है। वह प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादियों को अदालत से उनके द्वारा प्राप्त आदेश का लाभ उठाने और फिर 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत मामला स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

( 8 ) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि निर्णय से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के अलावा

संविधान पीठ, एक और आयाम है जो सामने आया है। इस बाद के विकास में निम्नलिखित शामिल हैंः

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (इसके बाद) के तहत कार्य करने वाली भूमि को अधिसूचित करने आया था।

संक्षिप्तता के लिए '1956 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) 01.12.2018 पर उक्त अधिनियम की धारा 3A के तहत एक अधिसूचना जारी करके। धारा 3 ए के तहत अधिसूचना विचाराधीन भूमि को समझती है। इसके अलावा, मामला धारा 3 डी के तहत घोषणा के चरण तक आगे बढ़ा। घोषणा-पत्र

22.03.2019 पर प्रकाशित किया गया था। इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले के तथ्यों में बाद के फैसले का जो भी प्रभाव होगा, न्याय के हित की मांग है कि प्रतिवादियों को 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का लाभ दिया जाए।

( 9 ) अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह इंगित करते हुए इसका प्रतिवाद करने का प्रयास किया जाता है कि तथ्यों पर, उत्तरदाता बाद के घटनाक्रमों के आधार पर किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण v. भीम सैन गोएलैंड ऑर्स। [ के. एम. जोसेफ, जे.]

इस बात पर विवाद नहीं है कि वास्तव में 1956 के अधिनियम की धारा 3 ए के तहत इस मामले में प्रत्यर्थियों की भूमि सहित एक अधिसूचना जारी की गई थी। वह इस बात पर भी विवाद नहीं करते हैं कि धारा 3 (डी) के तहत घोषणा का पालन 22.03.2019 पर किया गया था। हालाँकि, वह बताते हैं कि कलेक्टर ने यह पाते हुए कि उत्तरदाताओं की भूमि जो इस न्यायालय के समक्ष अपील का विषय है, पहले से ही निहित है, भूमि को बाहर कर दिया है जब उसने 05.11.2020 पर अंतिम निर्णय दिया। अपीलार्थी के विद्वान वकील यह भी इंगित करेंगे कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है जो पहले से ही उसके पास निहित है [इस संबंध में देखें (2010) 9 एस. सी. सी. 782]। ( 10 ) कुछ तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। 21.03.2003 पर 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई। यह था।

इसके बाद 18.03.2004 पर धारा 6 के तहत घोषणा की गई जिसके बाद 22.08.2005 पर पुरस्कार पारित किया गया।

निस्संदेह एक अंतरिम आदेश पारित किया जाता है जो प्रभावी रूप से अपीलार्थी को विचाराधीन भूमि पर कब्जा करने से रोकता है। हालाँकि रिट याचिका को 20.08.2007 पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय में याचिका को ले जाया और यह फिर से विवाद में नहीं है कि अंतरिम आदेश अपीलार्थियों को परेशान करता रहा क्योंकि यह अपीलार्थियों को उन भूमि पर कब्जा करने से रोकता था जिन्हें वह अन्यथा ले सकता था। 2013 के अधिनियम के अधिनियमन के साथ, जब सिविल अपील लंबित थी, तब भी उत्तरदाताओं ने एक रिट याचिका के रूप में मुकदमे का एक नया दौर दायर किया। इसमें दावा किया गया था कि पहले

2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के आधार पर पुरस्कार समाप्त हो गया है। इस तर्क को, जैसा कि हमने देखा है, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय का समर्थन मिला है।

इसके बाद दीवानी अपील वापस ले ली गई। यह अपीलार्थी का मामला है कि 81 दिनों को छोड़कर, एक अंतरिम अवधि थी।

प्रचलित आदेश, जो प्रभावी रूप से अपीलार्थी को प्रत्यर्थियों के कहने पर भूमि पर कब्जा करने से रोकता था।

( 11 ) इस मोड़ पर, इस बात पर ध्यान देना उचित है कि इस न्यायालय ने संविधान पीठ के फैसले में क्या निर्धारित किया है अधिग्रहित की गई भूमि का कब्जा लेने वाले प्राधिकरण के मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करने वाले न्यायालयों के आदेशों का प्रभावः

" 300. हमारी सुविचारित राय में, भूमि मालिकों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का निर्णय अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और धारा 24 (2) के लाभ वादियों को उपलब्ध नहीं होने चाहिए।

कोई अंतरिम आदेश नहीं है, वे उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे हकदार हैं, अन्यथा मुकदमेबाजी, देरी और विलंबकारी रणनीति के परिणामस्वरूप नहीं और कभी-कभी यह पूरी तरह से तुच्छ याचिकाएं और जाली दस्तावेज हो सकते हैं।

जैसा कि वी. चंद्रशेखरन [वी. चंद्रशेखरन बनाम।

प्रशासनिक अधिकारी (2012) 12 एस. सी. सी. 133: ( 2013 ) 2 एस. सी. सी. (सिविल) 136: ( 2013 ) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 587: ( 2013 ) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 416] उल्लिखित है

ऊपर। 306. जब अधिकारी कर्तव्यों का पालन करने से अक्षम हो जाते हैं

असंभवता के कारण, उनके लिए बचत करने का एक अच्छा बहाना होगा

धारा 24 (2) के प्रावधानों की कठोरता से। एक वादी सही या गलत हो सकता है। उसे लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

उनके द्वारा अंतरिम आदेश की स्थिति पैदा की गई। सिद्धांत

" कमोडम एक्स इंजुरिया सुआ नेमो हेबेरे डेबेट "अर्थात किसी पक्ष को उसकी अपनी गलती से सुविधा नहीं मिल सकती है।

धारा 24 के प्रावधान वादियों या गैर-वादियों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और एक ही अधिग्रहण के संबंध में उनके साथ अलग व्यवहार करें,

अन्यथा, विसंगत परिणाम हो सकते हैं और प्रावधान हो सकते हैं

अपने आप में भेदभावपूर्ण बनें।

309. तुच्छ मुकदमा दायर करना संदिग्ध आचरण नहीं हो सकता है और

रोक प्राप्त करें; लेकिन धारा 24 (2) का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

उन लोगों पर जिन्होंने कब्जा करने या भुगतान करने से रोका ठहरने के दौरान बिताई गई अवधि के लिए मुआवजा।

314. उक्ति "लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया" का अर्थ है कि

कानून असंभव के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करता है। हालांकि

भुगतान संभव है लेकिन भुगतान का तर्क प्रासंगिक है। वहाँ

ऐसे मामले हैं जिनमें मुआवजे की पेशकश की गई थी, लेकिन इनकार कर दिया गया था और फिर खजाने में जमा कर दिया। अदालत में मुकदमा था, जो

लंबित था (या कुछ मामलों में, निर्णय लिया गया); के लिए पहले के संदर्भ

मुआवजे में वृद्धि की मांग की गई और मुआवजे की मांग की गई बढ़ाया गया। अधिग्रहण की कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं थी या

कब्जा लेना, आदि। इस न्यायालय में या में लंबित मामलों में

उच्च न्यायालय मुआवजे से संबंधित कार्यवाही में भी, धारा

24 ( 2 ) यह बताने के लिए आह्वान किया गया था कि कार्यवाही समाप्त हो गई है क्योंकि

अदालत में क्षतिपूर्ति जमा न करना या अदालत में जमा न करना।

कोषागार या अन्यथा न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण आवश्यक

ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए। हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि न्यायालय ने विस्तृत रूप से निपटा

पुनर्स्थापन का सिद्धांत और यह कहना थाः

विकास प्राधिकरण v. भीम ने लक्ष्य और हमारा ध्यान रखा।

[ के. एम. जोसेफ, जे.]

338. एक गलत काम करने वाला या वर्तमान संदर्भ में, एक वादी जो अपना मौका लेता है, उसे रणनीति में देरी करके लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्यायिक प्रणाली का कर्तव्य है कि वह अदालत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके अनुचित संवर्धन या अनुचित लाभ को हतोत्साहित करे। में।

कलाभारती विज्ञापन वि. हेमंत विमलनाथ नरीचनिया

[ कलाभारती विज्ञापन वि. हेमंत विमलनाथ नरीचनिया,

( 2010 ) 9 एससीसी 437: ( 2010 ) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 808], यह देखा गया कि न्यायालयों को प्रभाव को बेअसर करने में सावधानी बरतनी चाहिए

अंतरिम आदेशों के अनुसार परिणामी आदेश पारित किए गए। इस तरह के बीच बढ़ती प्रवृत्ति की जाँच करने के लिए निर्देश आवश्यक हैं

गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय। इस प्रकार, प्रतिस्थापन सिद्धांत इस विचार को मान्यता देता है और आकार देता है कि लाभ सुरक्षित हैं। एक वादी द्वारा, अदालत के आदेशों के कारण, उसके कहने पर, स्थायी नहीं किया जाना चाहिए; यह विपुल या क्रमिक वादी को बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाने और अदालतों के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अन्य-जिसमें अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्यों को कम करना शामिल है

अधिग्रहण की कार्यवाही। एक अलग दृष्टिकोण का मतलब यह होगा कि, उदाहरण के लिए, जहां दो भूमि मालिकों (एक ही अधिसूचना द्वारा अपनी भूमि से विस्थापित होने की मांग करने वाले) को मुआवजा दिया जाता है, जिनमें से एक मुद्दे को अंतिम रूप देने की अनुमति देता है-और आगे बढ़ता है, तो दूसरा स्पष्ट रूप से अंतर्निहित सार्वजनिक उद्देश्य को रोकने का प्रयास करता है। अधिग्रहण, एक या मुकदमे की श्रृंखला दायर करके, जिसके लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पक्षों को बाधित और बाध्य कर सकते हैं, बाद वाले को लाभ होगा और धारा 24 (2) के तहत मानित चूक की शर्त के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा परिणाम, राय में

इस न्यायालय का इरादा कभी भी संसद द्वारा नहीं किया गया था; इसके अलावा, प्रतिस्थापन सिद्धांत की आवश्यकता है कि वादी द्वारा प्राप्त लाभ को दूसरे पक्ष के पक्ष में उपयुक्त रूप से ऑफसेट किया जाना चाहिए।

366.2 . यदि पुरस्कार खिड़की के भीतर पारित किया गया है

अदालत के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि, तब कार्यवाही जारी रहेगी जैसा कि 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान की गई है जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.8 . धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में अपनी निष्क्रियता के कारण विफल हो जाते हैं।

2013 अधिनियम के लागू होने से पाँच साल या उससे अधिक समय पहले, संबंधित प्राधिकरण [2022] 2 एस. सी. आर. के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में।

1-1-2014 पर। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

( 12 ) इस मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों के लागू होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उत्तरदाता इसे नहीं ले सकते हैं। 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत आश्रय। यह सरल कारण है कि अदालतों का दरवाजा खटखटाने और अंतरिम आदेश प्राप्त करने में उनके आचरण से अपीलार्थी को भूमि पर कब्जा करने से रोका गया था। हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां प्रत्यर्थियों ने मुकदमा शुरू किया है, आदेश प्राप्त किए हैं और इसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को कब्जा करने से रोक दिया है और इसलिए,

यह सच है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 ए के तहत भी एक अधिसूचना जारी की गई है। यह भी उतना ही सच है कि आपत्तियों को बुलाने के बाद अधिसूचना पर कार्रवाई करते हुए, धारा 3 डी के तहत घोषणा की गई है 1956 के अधिनियम का।

1956 के अधिनियम की योजना में अनिवार्य रूप से 1894 की धारा 4 के अनुरूप धारा 3 ए के तहत अधिसूचना जारी करना शामिल है।

अधिनियम, जिसके बाद सामान्य रूप से एक जांच की जाती है और एक घोषणा में समाप्त होती है

धारा 3 डी के तहत। यह निस्संदेह सच है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत घोषणा का कानूनी प्रभाव यह है कि संपत्ति उसी पर निहित होगी। ( 14 ) इसलिए, यहाँ हम एक ऐसी स्थिति के साथ प्रस्तुत हैं जहाँ, एक ओर, धारा 16 के तहत पहले ही निहित किया जा चुका है।

1894 का अधिनियम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 16 के तहत, पुरस्कार पारित होने पर कब्जा लिया जाना है। लेकिन यहाँ, यह केवल एक रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादियों के आचरण और अदालतों द्वारा पारित किए जा रहे आदेशों के कारण है कि कब्जा नहीं लिया जा सकता है। दूसरी ओर, विवादित फैसले के खिलाफ चुनौती के लंबित रहने के दौरान, निस्संदेह, 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विचाराधीन भूमि की आवश्यकता एक सार्वजनिक उद्देश्य-सड़क के निर्माण के लिए थी। जाहिरा तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान इस के तहत कार्यवाही की जाती है

धारा 3 ए ली गई है, जिसके बाद धारा 3 डी के तहत घोषणा की गई है।

विकास प्राधिकरण v. भीम ने लक्ष्य और हमारा ध्यान रखा। [ के. एम. जोसेफ, जे.]

( 15 ) इस मोड़ पर, हमें विकास प्राधिकरण v में निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। महेश शर्मा और एक और (2010) सी782:

" 26. जागीर अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार को भूमि सौंपने और सरकार द्वारा 29 बीघा और 17 बीघा की उक्त भूमि को फिर से शुरू करने के बावजूद, सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत उक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मुआवजे का निर्धारण करके भूमि, जो पहले से ही सरकार की थी, के संबंध में एक पुरस्कार पारित करने के लिए भी आगे बढ़े, और भूमि के प्रतिधारण का निर्देश देने के लिए आगे बढ़े। जागीर अधिनियम के तहत भुगतान किया गया अंतरिम मुआवजा और 2500 वर्ग गज की विकसित भूमि के भूखंड के आवंटन का निर्देश भी दिया गया। हालाँकि इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने वाला कोई कानून नहीं था, लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने और प्रतिवादी के पक्ष में भूमि का एक भूखंड आवंटित करने की उक्त कार्रवाई से संकेत मिलता है कि कैसे सरकारी अधिकारी, जो सरकारी संपत्ति के रक्षक हैं, अपने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन के छद्म रूप में अपनी शक्ति और विश्वास का दुरुपयोग करते हैं।

32. उड़ीसा राज्य में v. वृंदावन शर्मा [1995 सप्लीमेंट (3)

एस. सी. सी. 249] इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसी भी ब्याज के अधिग्रहण पर विचार या प्रावधान नहीं करता है।

अधिग्रहण पर भूमि में सरकार से संबंधित। इसने कानून की इस स्थिर स्थिति को दोहराया कि भूमि की मालिक होने के नाते सरकार को अपनी भूमि का अधिग्रहण केवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति ने गलती से भूमि का अधिग्रहण किया और बाद में गलती से।

अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं।

33. मेहर रूसी दलाल बनाम मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में उपरोक्त स्थिति को दोहराया गया था। भारत संघ [(2004) 7

एससीसी 362]। उक्त निर्णय के एस. सी. सी. पैरा 15 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के उस आदेश को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है जिसमें एक संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह तय कानून है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में -

सरकार अपना हित हासिल नहीं कर सकती और न ही करती है। उपरोक्त कानून को निर्धारित करते समय, इस न्यायालय ने बॉम्बे के कलेक्टर बनाम में अपने पहले के फैसले का उल्लेख किया है। नुसेरवानजी रतनजी मिस्त्री

[ ए. आई. आर. 1955 एससी 298: ( 1955 ) 1 एस. सी. आर. 1311]

22 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. हम इस स्तर पर उचित रूप से इस निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

किरण सिंह बनाम में न्यायालय। चमन पासवान [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 340: ( 1955 ) 1 एससीआर 117]। उक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अमान्य है और इस तरह के निर्णय को निष्पादन या संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है। एस. सी. आर. में न्यायालय पी. 121 पैरा 6 इस प्रकार आयोजित किया गयाः ( एयर

पी। 342 , पैरा 6)

" 6. ..... यह एक मौलिक सिद्धांत है जो अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिकार क्षेत्र के बिना अदालत द्वारा पारित एक डिक्री एक शून्य है, और इसकी अयोग्यता को जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में भी स्थापित किया जा सकता है और

यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी "। 36. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए, यह स्पष्ट है

स्पष्ट करें कि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण के लिए पारित पुरस्कार भी एक था

अक्षमता और सरकार की बाद की कार्रवाई

धारा 48 के तहत अधिसूचना जारी करके भूमि अधिग्रहण रद्द करना उचित और उचित था क्योंकि यह सुधार के लिए एक कार्रवाई थी।

गलती हुई। बाद के भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संदर्भ न्यायालय को संदर्भित करने से इनकार कर दिया कि भूमि पहले से ही एक सरकारी भूमि थी और राजस्व रिकॉर्ड में ही इसका वर्णन किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिन्होंने पुरस्कार पारित किया, ने न केवल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करके, बल्कि जागीर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए अंतरिम मुआवजे को बनाए रखने का निर्देश देकर और भूमि के एक विकसित भूखंड के आवंटन के लिए निर्देश देकर अवैध कार्य किया।

2500 वर्ग गज में मापा गया।

( 16 ) तथ्यों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ सिद्धांतों को लागू करना होगा।

एक ओर, यह एक ऐसा मामला है जिसमें तथाकथित बाद के घटनाक्रम पहले अपील के लंबित रहने के दौरान हुए थे

यह न्यायालय। दूसरी ओर, प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1956 के अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया। यहाँ फिर से, हमें इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार उस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकती जो पहले से ही उसमें निहित है। दूसरा पहलू जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वह इस तथ्य को महसूस करना है कि विचाराधीन भूमि अपील का विषय है और इसके अलावा, वे दिल्ली विकास प्राधिकरण v के संदर्भ में निहित होंगे।

भीम ने लक्ष्य और हमारा ध्यान रखा।

[ के. एम. जोसेफ, जे.]

इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में भूमि को बाहर रखा गया है जब 1956 के अधिनियम के तहत अंतिम निर्णय पारित किया गया था। हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उत्तरदाताओं के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन्होंने अंतिम निर्णय में अपनी भूमि के अपवर्जन को कोई चुनौती दी है। वह जो भी हो, तथ्य यह है कि ये सभी घटनाक्रम हुए अपील के लंबित रहने के दौरान।

( 17 ) जब न्यायालय अंततः आई. एस. का निर्णय करता है, तो यह निस्संदेह, खुला है, विशेष रूप से इस न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्तियां हैं जैसा कि उसके पास अनुच्छेद 142 के तहत है।

पक्षों के बीच पूर्ण न्याय और हम यह मानते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील उक्त अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहते हैं।

( 18 ) यदि यह विरोध का सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है क्योंकि यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा लिए गए तर्क की रेखा से हमें दिखाई देगा, तो हमारा विचार है कि यह मान्य नहीं है। एस्टोपेल इक्विटी से प्रवाहित होता है।

( 19 ) स्पेन्सर बॉवर के कार्य में: विश्वास-आधारित

एस्टोपेल 5 वें संस्करण में, हम निम्नलिखित चर्चाओं पर ध्यान देते हैं।

रोकना: जो भौतिक है वह बी की नैतिकता की स्थिति नहीं है, लेकिन ए. बी. के आचरण के मन और इच्छा पर उनके प्रतिनिधित्व या मौन का प्रभाव, इसके अलावा, किसी विशेष स्तर पर चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा, एक अवरोध के अभाव में, यह एक अनुचित परिणाम को जन्म देगा। लॉर्ड वॉकर ने कोबे बनाम योमन्स रो मैनेजमेंट लिमिटेड में बिना किसी रोक-टोक के परिणाम की आवश्यकता का उल्लेख किया ' न्यायालय की अंतरात्मा को आघात पहुँचाना चाहिए, लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि न्यायालय को इससे अधिक पता लगाने की आवश्यकता है कि बी ने अपने प्रतिनिधित्व द्वारा ए को ऐसा कार्य करने (या कार्य करने से रोकने) के लिए प्रेरित किया है कि परिणाम अन्यथा अनुचित होगा। सामान्य कानून के न्यायसंगत शमन के संदर्भ में इसके उपयोग के बारे में ब्रिज बनाम कैंपबेल छूट में लॉर्ड रैडक्लिफ की सावधानी का भी यहां प्रयोग किया जाना चाहिए।

" असहनीय "को समायोजन के लिए रामबाण नहीं माना जाना चाहिए।

सक्षम व्यक्तियों के बीच कोई अनुबंध जब यह एक या दूसरे पक्ष के लिए एक खुरदरा बढ़त दिखाता है। डीन जे द्वारा कॉमन-वेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम वेरवेन में एक लचीली परिभाषा प्रदान की गई है:

' आचरण द्वारा बहिष्कार का सिद्धांत अच्छे पर आधारित है।

विवेक। सबसे अधिक जो कहा जा सकता है वह यह है कि "असहनीय" को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि एक पक्ष को "विवेक से क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि (पक्षों) के बीच करने की अनुमति दी जानी चाहिए" (स्टोरी, कमेंटरीज ऑन इक्विटी ज्यूरिसप्रूडेंस, 2 देखें)।

एंग एड (1892) पैरा 1219; थॉम्पसन बनाम पामर) "।

( 20 ) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तर्क दिया जा सकता है कि शायद यह चुनाव का सिद्धांत हो सकता है जो उपयुक्त है। यह संबंधित मामलों के संबंध में है

चुनाव में अनुमोदन और खंडन जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि अपीलार्थी को 1956 के अधिनियम के तहत आगे बढ़ने की अनुमति देना और 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत संपत्ति के निहित होने में कार्यवाही की परिणति के लिए उचित नहीं हो सकता है और 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए स्पष्ट रूप से विवादित निर्णय के आधार पर चुना गया है, अर्थात् कि 1894 के अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई थी, अधिकारियों को अपनी कार्रवाई से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम सोचेंगे कि तथ्यों से वंचित करना पूरी तरह से असमान होगा। अपने अधिकारों का अपीलार्थी जब इस मामले के तथ्यों में अंततः उसके पक्ष में निर्णय लिया जाता है। यह एक ऐसा मामला भी है जिसमें अपीलार्थी ने विवादित फैसले के खिलाफ तुरंत इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा, तथ्यों में समानता का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल यह तथ्य कि मामला लंबित रहने के दौरान कार्यवाही की गई थी और यह 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के तहत घोषणा के चरण में पहुंच गया था, प्रतिवादियों को उक्त कार्यवाही के फल का दावा करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जब हमारे द्वारा अपील के अंतिम निपटारे पर हम केवल यह पाते हैं कि कानून में जैसा कि इस अदालत द्वारा संविधान पीठ में घोषित किया गया है, भूमि पहले से ही 1894 के अधिनियम के तहत निहित होगी और जैसा कि पहले ही देखा गया है कि दो बार निहित नहीं हो सकती है।

ऊपर।

( 21 ) हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों के संबंध में

तथ्य यह है कि 81 दिनों को छोड़कर प्रतिवादी अपीलार्थी को भूमि पर कब्जा करने से रोकने से पारित अंतरिम आदेश के बल पर सफल होते हैं, यह महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए जिसका हमने उल्लेख किया है।

( 22 ) जिस सिद्धांत ने इस न्यायालय की संविधान पीठ में अपील की है, वह इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। आम जनता

जिस प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती शासन के तहत कानून को लागू किया था, उसे तब हानि नहीं पहुँचाई जा सकती जब दिन के अंत में या गणना के दिन यह पाया जाता है कि उन्हें कानून में सफल होना चाहिए। यहाँ हमने

पाया है कि अपीलार्थी यह तर्क देने में पूरी तरह से उचित है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण V द्वारा पारित आदेशों के लिए।

भीम सैन गोएलैंड ऑर्स।

[ के. एम. जोसेफ, जे.]

उच्च न्यायालय और यह न्यायालय, कब्जा ले लिया गया होगा, और भूमि कानून के तहत निहित होगी। हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि लेकिन पारित अंतरिम आदेशों के लिए जो मामलों के अंतिम निपटारे से बच नहीं सकते हैं, भूमि पहले के शासन के तहत सरकार के पास निहित होती। 1956 के अधिनियम की धारा 3 डी के लिए जिम्मेदार होने वाले बाद के निहित होने को हमारे विचार में महत्वहीन होना चाहिए और अपीलार्थी को यह तर्क देने से नहीं रोका जा सकता है कि कानूनी रूप से भूमि 1894 के अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना/पुरस्कार के तहत निहित होगी।

उनके कार्यों ने प्रभावी रूप से सार्वजनिक प्राधिकरण को कानून का लाभ उठाने से रोक दिया, जिसके द्वारा, 1894 के अधिनियम में निहित शक्ति के प्रयोग में, भूमि अपीलार्थी के पास निहित है, और भूमि वह है जो उस मामले के लिए सड़क के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के लिए आवश्यक है। ( 24 ) यह दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है कि अगर सरकार जनता को बाहर करने के लिए मजबूर होती है तो यह सार्वजनिक हित के लिए पूरी तरह से विरोधी होगा।

यह महसूस करते हुए कि भूमि पहले से ही निहित है, भूमि को पहले से ही अंतिम पुरस्कार के तहत बाहर रखा गया है। उपरोक्त चर्चा का अपरिहार्य परिणाम यह है कि अपीलार्थी को सफल होना चाहिए। ( 26 ) हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और न्याय के हित में, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि यदि प्रत्यर्थियों ने कोई आवेदन दायर नहीं किया है

1894 के अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग करते हुए और दिनांक 1 के पुरस्कार के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे का दावा करते हुए, उत्तरदाताओं को धारा 18 के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए और मामले पर पहले के अधिनियम के तहत निर्णय लिया जाना चाहिए। विवादित निर्णय कानून के आधार पर पारित किया गया जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि यदि प्रत्यर्थियों ने पहले से ही 1894 अधिनियम की धारा 18 के अर्थ के भीतर आवेदन दायर नहीं किया है, तो उन्हें 1894 अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति है।

आज से एक महीने की अवधि के भीतर। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा जैसा कि यह 1894 के अधिनियम के तहत था।

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

देरी के आधार पर आवेदन

खारिज नहीं किया जाएगा। हम.

ए.

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह आदेश दें और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज दिए गए अपने निर्णय के साथ ही हम 1894 के अधिनियम के तहत दिनांकित आई. डी. 1 को अपना अधिकार दे रहे हैं।

अपील की अनुमति है। विवादित

फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा।

बी.

दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

निधि जैन